

Order Sheet [Contd]

Case No 85/2000 मु0फौ0

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
03.10.2017	<p>राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। आरोपी रामदयाल स्वयं उपस्थित।</p> <p>आरोपी की ओर से एक आवेदनपत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की गई है कि उसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भा0दं0वि0 की धारा 304बी में दोषमुक्त किया गया है और धारा 498ए भा0दं0वि0 का अर्थदण्ड यथावत रखा गया है। अतः 1000/- रूपए जमा किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>आरोपी रामदयाल की ओर से माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की आपराधिक अपील क्रमांक 31/2001 रामदयाल वि0 म0प्र0 शासन में पारित निर्णय दिनांक 23.04.2003 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, प्रमाणित प्रतिलिपि के पृष्ठ क्रमांक 7 व 8 स्पष्ट रूप से पठनीय नहीं है। आरोपी को निर्देशित किया गया कि वह उक्त निर्णय की अन्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करें। आरोपी की ओर से प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई।</p> <p>उक्त दोनों प्रतियों को अवलोकन किया गया।</p> <p>आरोपी को इस न्यायालय द्वारा भा0दं0वि0 की धारा 304बी, 498ए में दोषसिद्ध पाते हुए क्रमशः 5000/- एवं 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने एवं अर्थदण्ड जमा न करने पर यह विविध आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।</p> <p>प्रतियों के अवलोकन से दर्शित होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील अंशतः स्वीकार करते हुए आरोपी को भा0दं0वि0 की धारा 304बी के स्थान पर धारा 306 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दोषी पाया है तथा भा0दं0वि0 की धारा 498ए की दोषसिद्ध एवं दण्डादेश यथावत रखा है।</p> <p>प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी की दोषसिद्धि भा0दं0वि0 की धारा 304बी के स्थान पर 306 भा0दं0वि0 में करते हुए आरोपी को भुगतें गए कारावास के दण्डादेश से दंडित किया है, किन्तु भा0दं0वि0 की धारा 306 के अंतर्गत आरोपी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किस अर्थदण्ड से दंडित किया है का उल्लेख नहीं है।</p> <p>अतः आरोपी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आपराधिक अपील क्रमांक 31/2001 में पारित निर्णय दिनांक 23.04.2003 के अनुसार भा0दं0वि0 की धारा 498ए में किए गए अर्थदण्ड 1000/- रूपए जमा किए</p>	

जाने की प्रार्थना की है। अतः उक्त राशि आरोपी के द्वारा रशीद क्रमांक 69 एवं रशीद बुक क्रमांक 6886 पर आज दिनांक 03.10.2017 को जमा की गई। रशीद आरोपी को दी गई। प्रकरण की कार्यवाही समाप्त हो।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

ए0एस0जे0 गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)